

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ -25/15/2001/चार/पी.डब्ल्यू.सी.

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2001

प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- न्यूनतम पेशन तथा न्यूनतम परिवार पेशन ।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, वित्त विभाग का ज्ञाप क्र.एफ बी-6-3-111-87-नि-2,चार, दिनांक 27.10.87, एफ बी-6189आर-2चार, दिनांक 25.1.89, एफ बी-61(1)90आर11चार, दिनांक 23.1.90 एवं ज्ञाप क्र. बी-25798 पी.डब्ल्यू.सी.चार(भाग-1)दिनांक 14.7.98

राज्य शासन द्वारा जारी संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके द्वारा अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति असमर्थता एवं क्षतिपूर्ति पेशन को समय-समय पर न्यूनतम करने के आदेश प्रसारित किए गये थे। म.प्र.शासन के ज्ञाप क्र.बी-25798पी.डब्ल्यू.सी.चार(भाग-एक)दिनांक 14.7.98 के पैरा 4.1 में दिनांक 1.1.96 से पुनरीक्षित वेतनमान में पेशन एवं परिवार पेशन न्यूनतम रु.1275- की गई है। इस आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि यह आदेश असमर्थता, क्षतिपूर्ति एवं असाधारण पेशन पर लागू होंगे अथवा नहीं। कुछ कोषालय अधिकारी इस न्यूनतम का लाभ केवल अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त एवं असमर्थता पेशनभोगी को ही दे रहे हैं।

2. शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि,

- (अ) दिनांक 1.1.96 से पूर्व सेवानिवृत्त पेशनभोगियोंपरिवारपेशनभोगियों को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्र.बी-25798पी.डब्ल्यू.सी.चार, भाग-2, दिनांक 14.7.98 के आदेश, असमर्थता पेशन, क्षतिपूर्ति पेशन एवं असाधारण पेशन पर भी लागू होंगे तथा दिनांक 1.1.96 से प्रभावशील होंगे ।
- (ब). न्यूनतम पेशनपरिवार पेशन का निर्धरण संबंधित जिला कोषालय अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- (स). यदि परिवार पेशन का बंटवारा दो या दो से ज्यादा हिस्सों में वितरित होता है तो रु. 1275- प्रतिमाह न्यूनतम पेशन का सिद्धांत मूल पेशन पर लागू होगा। अलग-अलग हिस्सों में नहीं ।
- (द). न्यूनतम पेशनपरिवार पेशन पर राहत के भुगतान के संबंध में म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ बी-64376नि-2चार, दिनांक 5.10.76 द्वारा जारी निर्देश यथावत् लागू रहेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अशोक दास)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग.

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. निज सचिवनिज सहायक, समस्त मंत्रीराज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुरइंदौरग्वालियर
12. महाधिवक्ताउपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुरइंदौरग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)(आडिट)-12 मध्यप्रदेश, ग्वालियरभोपाल।
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डलमाध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिवसचिवउप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखाअधीक्षण शाखाअभिलेखमुख्य लेखा अधिकारी) वल्लभ भवन, भोपाल ।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनसंघ
21. अध्यक्ष, म.प्र. पेशनर्स एसोसियेशन, 509, 14 क्रास 29 मुख्य जे.पी. नगर फेज-1 बंगलौर, 560078(कर्नाटक)
22. समस्त संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
24. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
25. सदस्य पेशनर कल्याण मण्डल
26. निगरानी प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
27. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.एन. पंत)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग